BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
EXECUTION APPLICATION No. 02/2022
IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Swami NarhariyanandSarovar

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP. & Ors.

INDEX

Sl.	Particulars	Annexure	Page No.
01	STATUS REPORT		1-3
02	Affidavits		4-5
03	Copy of the compliance report dated 11/10/2022	**ANNEXURE C-5**	6-7
04	Notices dated 17/10/2022	**ANNEXURE C-6**	8-11
05	Copy of the letter dated 17/10/2022	**ANNEXURE C-7**	12

SUBMITTED BY;

RESPONDENTS

THROUGH;

(SACHIN K. VERMA)
COUNSEL FOR RESPONDENTS NO. 2 & 3

Place: BHOPAL
Date: 17/10/2022

(1)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
EXECUTION APPLICATION No. 02/2022
IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Swami NarhariyanandSarovar

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP. & Ors.

STATUS REPORT

The answering respondents No. 2 & 3 most respectfully submit as follows:-

1. The Hon'ble Tribunal vide its order dated 08/09/2022 passed following directions in this matter, the operative of the order is quoted below:-

   "We expect that the Revenue Authorities/District Magistrate shall proceed in accordance with law as expeditiously as possible. Put up with further action taken report in compliance of the order."

2. In compliance to the directions passed by the Hon'ble Tribunal, the District Collector District Narsingpur passed instructions to the Chief Municipal Officer, Municipal Council Saikheda for the protection and conservation of Narhariyanand Talab. The Chief Municipal Officer as an interim measures has initiated following proceedings:-

   i. The Urban Local Body is setting up a Sewage Treatment Plant (in short 'STP') having the capacity of 2.6 MLD which has been constructed through MPUDCL at present 80% work has been completed and it is likely that the Project Implementation Unit will complete the construction work at the earliest in near future, further the sewage line laying work is also almost completed

and in terms of percentage 92% work has been completed and also 1150 houses are already connected with the sewage line in order to conserve and protect the subjective water body. (2)

ii. The Project Manager of the Project Implementation Unit has assured that after the withdrawal of rainy season the STP Construction work will be completed and after the completion of STP construction work the untreated sewage will be trapped and further will be scientifically treated by the STP. The Municipal Council Saikheda has adopted door to door solid waste collection from the residential units so as to ensure the scientific disposal of the solid waste and from time to time it is publicly advertised and broadcasted that in case of disposal of solid waste in the water bodies penal action in the shape of penalty will be imposed upon the violators. Further the Municipal Council has executed an agreement with the Kathonda Plant of Jabalpur Cluster for the purpose of scientific collection/disposal of solid waste.

3. The Nayab Tehsildar, Tehsil Saikheda District Narsingpur, after being reported by the Municipal Council pertaining to 73 encroachments upon the land settled and recorded as Government Land Talab in revenue records has registered cases within the preview of Section 248 of the MP Land Revenue Code 1959 and after being served 52 householders have approached Sub Divisional OFFICER Gadarwara and thereafter 25 householders have filed the second appeal before the court of Divisional Commissioner Jabalpur which is pending for consideration, and some of the householders have already approached Hon'ble High court Principal Seat At Jabalpur. The Hon'ble High Court has directed the Tehsildar to provide reasonable opportunity of hearing to the encroachers therefore, in compliance to the directions passed by Hon'ble High Court, the court of Tehsildar Saikheda registered the revenue case and has issued notice to the encroachers for submissions of reply along with supporting documents on

17/10/2022 and the encroachers have filed their preliminary reply and have further sought time to file detailed reply along with supporting documents in the matter and accordingly the matter is further listed on 02/11/2022. After completion of hearing appropriate orders shall be passed on its merits by the court of Tehsildar Saikehda. The copy of the compliance report dated 11/10/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE C-5** The notices are cumulatively marked and filed herewith as **ANNEXURE C-6** The copy of the letter dated 17/10/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE C-7.** (3)

4. The submissions and compliance may kindly be taken on record.

5. Affidavits in support are filed herewith.

SUBMITTED BY;

RESPONDENTS

THROUGH;

(SACHIN K. VERMA)

COUNSEL FOR RESPONDENTS NO. 2 & 3

Place: BHOPAL

Date: 17/10/2022

(4)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL

EXECUTION APPLICATION No. 02/2022

IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Swami Narhariyanand Sarovar

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP. & Ors.

AFFIDAVIT

I, Akash Dahare, S/o Shri G.L. Dahare Aged about 32 years, posted as Nayab Tehsildar Tehsil Saikheda, O/o Tehsildar Office Saikheda, Tehsil Saikheda (M.P.), do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I am the Nayab Tehsildar, Tehsil Saikheda and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

2 That the accompanying compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.

3. That the contents of para 1 to end of accompanying compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this day of 2022 at Bhopal (M.P)

DEPONENT

S. N. Choubey
Advocate & Notary
Teh. Gadarwara
Distt. Narsinghpur

(5)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL

EXECUTION APPLICATION No. 02/2022

IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Swami Narhariyanand Sarovar

//VERSUS//

RESPONDENTS: State of MP. & Ors.

AFFIDAVIT

I, Rajendra Kumar Sharma, Aged about 56 years, S/o Shri Nitya Gopal Sharma, posted as Chief Municipal Officer, O/o Nagar Parishad Sainkheda, Narsinghpur (M.P.), do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I am Respondent No. 3 in the present matter and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

2 That the accompanying compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.

3. That the contents of para 1 to end of accompanying compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this day of 2022 at Bhopal (M.P)

DEPONENT

S. N. Choube
Advocate & Notary
Teh. Gadarwara
Distt. Narsinghpur

ANNEXURE C-5

(6)

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला, नरसिंहपुर म.प्र.

(E-MAIL ADDRESS- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन 07791-250320)

क्रमांक/1184 /न.प.साई/2022 साईखेडा, दिनांक 11/10/2022

प्रति,

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT)
केन्द्रीय शाखा, भोपाल

विषयः– आपके आदेश के पालन में की गयी एवं की जा रही कार्यवाही का विवरण।

संदर्भः–
1. ओरिजिनल एप्लीकेशन क्रमांक 23/2021 (CZ) के आपके द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2021।
1. एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन क्रमांक 02/2022 (CZ) के तहत कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर को जारी आपका पत्र क्रमांक D.No./NGT/2022/38 भोपाल दिनांक 16.03.2022।
2. अपर कलेक्टर महोदय का पत्र क्रमांक 3395/सिविल सूट/2022 नरसिंहपुर दिनांक 11.04.2022।
3- MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD No. 1670/MSW/HOPCB/2022 Bhopal Date: 13/05/2022।
4. एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन क्रमांक 13/2022 (CZ) ओरिजिनल एप्लीकेशन नं. 23/2021 सुनवाई दिनांक 13.07.2022।
5. एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन क्रमांक 02/2022 (CZ) ओरिजिनल एप्लीकेशन नं. 23/2021(CZ) सुनवाई दिनांक 08.09.2022।

—0—

महानुभाव,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन हैं कि संदर्भित आदेश क्रमांक 1 के पालन हेतु संस्थित आवेदन संदर्भित क्रमांक 2 के अनुसार दिए गये निर्देशो के पालन हेतु कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर द्वारा जारी पत्र संदर्भित क्रमांक 3, 4, 5 के परिपालन में नगर परिषद सांईखेडा द्वारा नरहरियानंद तालाब के संरक्षनार्थ अब तक की गयी एवं की जा रही कार्यवाहीयों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

1. स्वामी नरहरियानंद तालाब, ग्राम सांईखेडा, राजस्व निरीक्षक मंडल सांईखेडा तहसील सांईखेडा जिला नरसिंहपुर स्थित तालाब मद की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 456, 457, 458/1 रकबा 6.770 हे0 में स्थित हैं।
2. आपके द्वारा दिए गये आदेश/निर्देश के परिशिष्ट A-1की कंडिका (1) के परिपालन में निकाय द्वारा 2-6 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कियान्वयन इकाई मध्य प्रदेश शहरी विकास निगम मर्यादित (MPUDCL) के माध्यम से कराया जा रहा हैं, जो लगभग 80 प्रतिशत तक पूरा हो गया हैं, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण होने की संभावनाये कियान्वयन इकाई के द्वारा व्यक्त की गयी है। साथ ही सीवेज लाईन बिछाने का कार्य भी 92 प्रतिशत तक पूरा कर लिया गया हैं। 1150 घरों का कनेक्शन सीवरेज लाईन से किया जा चुका हैं।

3. प्रोजेक्ट कियान्वयन इकाई के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा वर्षा ऋतु उपरांत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किये जाने की संभावना व्यक्त कि गयी हैं, जिसके पूरा होते ही दूषित जल का समुचित प्रबंधन किया जा सकेगा। नगर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जाकर ठोस अपशिष्ट का यथोचित प्रबंधन किया जाता हैं, उक्त ठोस अपशिष्ट तालाब में डाले जाने पर अर्थ दंडात्मक कार्यवाही की सूचना नगर वासियों में समय समय पर प्रचारित/प्रसारित की जा रही हैं। निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जबलपुर कलस्टर के कठोंडा प्लांट के साथ प्राथमिक एवं द्वितीयक ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु अनुबंध किया गया हैं।
4. तालाब भूमि पर अतिकमण कर कुल 73 भवन बने हुए हैं, जिन्हे नगर परिषद के द्वारा पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति एवं भू–स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने के संबंध में नोटिस जारी किये गये हैं जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रचलन में हैं। नोटिस जारी किये जाने के बाद से कुल 32 भवन धारको के द्वारा अपना निस्तारी पानी तालाब में जाने से रोक कर अन्यत्र निकासी की जा रही हैं, शेष भवनों का पानी तालाब में न जावे इस हेतु इनका निस्तारी पानी सीवेरज पाईप लाईन से जोडा गया हैं, जिसका बहाव तालाब से अन्यत्र हैं। उक्त तालाब में मिलने वाले स्थानीय दो नाली जिनसे वर्षा काल में तालाब का केचमेंट वाटर (स्ट्राम वाटर) प्रभावित हो रहा था उसका बहाव भी तालाब की ओर से परिवर्तित कर दिया गया हैं, जिससे उनका पानी तालाब में नहीं जा रहा हैं।
5. तालाब भूमि अतिकमण कर बने 73 भवनों पर नायब तहसीलदार के द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत विधिवत कार्यवाही संस्थित की गयी थी, जिसके पूर्ण होने पर 24 अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा न्यायालय कमिश्नर संभाग जबलपुर में अपील प्रस्तुत की गई थी जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। कतिपय लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में बाद दायर किया था, उसके अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय तहसीलदार सांईखेडा को निर्देशित किया गया था कि पिटीशनर को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदाय किया जाकर निराकरण करें। जिसके परिपालन में न्यायालय तहसीलदार सांईखेडा में वर्तमान में उक्त प्रकरण अतिकमणकर्ताओं के प्रश्नाधीन भूमि पर अपने स्वत्व के संबंध में दस्तावेज एवं जबाव प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 17.10.2022 को नियत हैं।

आपके द्वारा दिए गये निर्देशो के पालन में अब तक की गयी कार्यवाही एवं की जाने वाली कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्टो सहित सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं। कृपया अभिस्वीकृति प्रदान किये जाने का कष्ट करें।

तहसीलदार
सांईखेडा

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, सांईखेडा

ANNEXURE C-6

(8)

न्यायालय तहसीलदार सांईखेडा/देवरी/गाडरवारा–2
तहसील सांईखेडा जिला नरसिंहपुर

रा0प्र0कं0 0037 अ/68 वर्ष 2020–21
मौजा सांईखेडा रा0नि0मं0 सांईखेडा

प्रति,

श्री वीरेन्द्र आ0 धन्नूलाल ~~अग्रवाल~~ नामदेव
निवासी सांईखेडा

विषयः–प्रकरण में सुनवाई के संबंध में।

––00––

इस न्यायालय के रा0मा0कं0 0037 अ/68 वर्ष 2020–21 मौजा सांईखेडा प0ह0न0 09/32 रा0नि0मं0 सांईखेडा स्थित भूमि शासकीय ख0नं0 456, 457 458/1 कुल रकवा 6.777 हे0 भूमि शासन पानी मद मे दर्ज हैं। उक्त भूमि के रकवा 13X15 वर्गफुट पर आपका आवासीय मकान बनाकर अतिकमण पाया गया था। आपके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय(राजस्व) गाडरवारा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01/02/2021 को निरस्त करते हुये विधिवत् सुनवाई के आदेश पारित किये गये थे।

इस संबंध में प्रकरण से संबंधित विधिमान्य प्रतियां एवं अपना जबाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक 17/10/2022 को स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

जारी दिनांकः–07/10/2022

तहसीलदार
सांईखेडा/देवरी/गाडरवारा–2

न्यायालय तहसीलदार सांईखेडा/देवरी/गाडरवारा–2
तहसील सांईखेडा जिला नरसिंहपुर

रा0प्र0क्रं0 0036 अ/68 वर्ष 2020–21
मौजा सांईखेडा रा0नि0मं0 सांईखेडा

प्रति,

श्री पुरूषोत्तम आ0 मिहीलाल अग्रवाल
निवासी सांईखेडा

विषयः–प्रकरण में सुनवाई के संबंध में।

––00––

इस न्यायालय के रा0मा0क्रं0 0036 अ/68 वर्ष 2020–21 मौजा सांईखेडा प0ह0न0 09/32 रा0नि0मं0 सांईखेडा स्थित भूमि शासकीय ख0नं0 456, 457 458/1 कुल रकवा 6.777 हे0 भूमि शासन पानी मद मे दर्ज हैं। उक्त भूमि के **रकवा 13X15 वर्गफुट** पर आपका आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण पाया गया था। आपके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय(राजस्व) गाडरवारा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01/02/2021 को निरस्त करते हुये विधिवत् सुनवाई के आदेश पारित किये गये थे।

इस संबंध में प्रकरण से संबंधित विधिमान्य प्रतियां एवं अपना जबाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक 17/10/2022 को स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

जारी दिनांकः–07/10/2022

तहसीलदार
सांईखेडा/देवरी/गाडरवारा–2

न्यायालय तहसीलदार सांईखेडा/देवरी/गाडरवारा–2
तहसील सांईखेडा जिला नरसिंहपुर

(10)

रा0प्र0कं0 0078 अ/68 वर्ष 2020–21
मौजा सांईखेडा रा0नि0मं0 सांईखेडा

प्रति,

श्री होतीलाल अग्रवाल(फौत)
वारिस श्री महेन्द्र अग्रवाल, श्री गनेश अग्रवाल
निवासी सांईखेडा

विषयः–प्रकरण में सुनवाई के संबंध में।

––00––

इस न्यायालय के **रा0मा0कं0 0078 अ/68 वर्ष 2020–21 मौजा सांईखेडा प0ह0न0 09/32 रा0नि0मं0 सांईखेडा** स्थित भूमि शासकीय **ख0नं0 456, 457 458/1 कुल रकवा 6.777 हे0 भूमि शासन पानी मद** मे दर्ज हैं। उक्त भूमि के **रकवा 13X15 वर्गफुट** पर आपका आवासीय मकान बनाकर अतिकमण पाया गया था। आपके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय(राजस्व) गाडरवारा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें इस न्यायालय के आदेश दिनांक **01/02/2021** को निरस्त करते हुये विधिवत् सुनवाई के आदेश पारित किये गये थे।

इस संबंध में प्रकरण से संबंधित विधिमान्य प्रतियां एवं अपना जबाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक **17/10/2022** को स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें

जारी दिनांकः**–07/10/2022**

तहसीलदार
सांईखेडा/देवरी/गाडरवारा–2

न्यायालय तहसीलदार सांईखेडा / देवरी / गाडरवारा–2 (11)
तहसील सांईखेडा जिला नरसिंहपुर

रा0प्र0क्रं0 0051 अ / 68 वर्ष 2020–21
मौजा सांईखेडा रा0नि0मं0 सांईखेडा

प्रति,

श्री कैलाश आ0 रामदास अग्रवाल
निवासी सांईखेडा

विषयः–प्रकरण में सुनवाई के संबंध में।

––00––

इस न्यायालय के **रा0मा0कं0 0051 अ / 68 वर्ष 2020–21 मौजा सांईखेडा प0ह0न0 09 / 32 रा0नि0मं0 सांईखेडा** स्थित भूमि शासकीय **ख0नं0 456, 457 458 / 1 कुल रकवा 6.777 हे0 भूमि शासन पानी मद** मे दर्ज हैं। उक्त भूमि के **रकवा 13X15 वर्गफुट** पर आपका आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण पाया गया था। आपके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय(राजस्व) गाडरवारा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें इस न्यायालय के आदेश दिनांक **01 / 02 / 2021** को निरस्त करते हुये विधिवत् सुनवाई के आदेश पारित किये गये थे।

इस संबंध में प्रकरण से संबंधित विधिमान्य प्रतियां एवं अपना जबाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक **17 / 10 / 2022** को स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें

जारी दिनांकः–**07 / 10 / 2022**

तहसीलदार
सांईखेडा / देवरी / गाडरवारा–2

ANNEXURE C-7

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंण्डाधिकारी सांईखेडा / देवरी / गाडरवारा–2 तहसील सांईखेडा

(12)

प्र0कमांक / 354 / प्र0तह0 / 2022 सांईखेडा दिनांकः–17 / 10 / 2022

प्रति,

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT)
केन्द्रीय शाखा, भोपाल

विषयः–नरहरियानंद तालाब सांईखेडा में अतिक्रमण प्रकरणो के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख हैं कि, नरहरियानंद तालाब मौजा सांईखेडा प0ह0नं0 09 रा0नि0मं0 सांईखेडा स्थित भूमि ख0नं0 456, 457, 458/1 कुल रकवा 6.777 हे0 भूमि शासकीय तालाब मद में दर्ज हैं। जिसका सीमांकन विधिवत् सीमांकन दल गठित कर कराया गया। जिसमें 73 व्यक्तियों के द्वारा मकान एवं दुकान बनाकर अतिक्रमण पाया गया। 73 प्रकरण अतिक्रमण के न्यायालय में पंजीबध्द किये गये थे। 73 प्रकरण में से 52 प्रकरणो में श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) गाडरवारा के न्यायालय में अपील पेश की गई थी। उक्त 05 प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पुनः सुनवाई के आदेश पारित किये गये थे। उक्त 5 प्रकरणो में पुनः सूचना पत्र जारी किया गया। जिस पर अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अपना प्रारंभिक जबाव प्रस्तुत किया गया। तथा अन्य वैधानिक दस्तावेज और विस्तार से जबाव प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा। उक्त प्रकरणों मे आगामी सुनवाई दिनांक 02/11/2022 को नियत है। माननीय न्यायालय कमिश्नर महोदय जबलपुर न्यायालय में 25 प्रकरणों में द्वितीय अपील पेश की हैं जो प्रचलनशील हैं। उक्त जानकारी आपकी ओर सादर संप्रेषित्।

तहसीलदार
तहसीलदार
सांईखेडा
सांईखेडा